समय-सीमा प्रकरण

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/विधि/एफ-247/सा./CONC-1462/2025/ 403 भोपाल, दिनांक 01/05/25

प्रति,

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- सागर

विषयः- अवमानना प्रकरण क्रमांक **CONC-1462/2025** सुरेश सिंह राजपूत स.उ.नि. कृषि उपज मंडी समिति पथरिया जिला दमोह विरूद्ध श्री अनुराग जैन सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एवं अन्य।

संदर्भः- डिप्टी रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का सूचना पत्र दिनांक 23/04/25।

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सूचना पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर अवमानना प्रकरण क्रमांक **CONC-1462/2025** सुरेश सिंह राजपूत स.उ.नि. कृषि उपज मंडी समिति पथरिया जिला दमोह विरूद्ध श्री अनुराग जैन सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एवं अन्य के संबंध में प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-1 श्री अनुराग जैन सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग एवं प्रतिवादी क्रमांक-2 श्री कुमार पुरूषोत्तम प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड को बनाया गया है। प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदु क्रमांक 1 से 3 तक का अवलोकन हो:-

1. प्रतिवादी क्रमांक-1 श्री अनुराग जैन, सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को बनाया गया है। श्री अनुराग जैन वर्तमान में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव के रूप में पदस्थ नहीं है। श्री अनुराग जैन वर्तमान में मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के पद पर पदस्थ हैं।
2. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 153/मुस/2016 दिनांक 12/05/2016 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में न्यायालयीन प्रकरणों का परिक्षण कर प्रतिवादी के रूप में माननीय मुख्य सचिव महोदय का नाम दर्ज होने पर उक्त के विलोपन संबंधी कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।
3. श्री सुरेश सिंह राजपूत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक **डब्ल्यू.पी.- 8593/2019** में माननीय उच्च न्यायालय, **जबलपुर** द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक **05-11-2024** आदेश के परिपालन में अभ्यावेदन दिनांक 03/12/24 कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 10/12/24 प्रस्तुत किया गया। उक्त के संबंध में मंडी बोर्ड के आदेश क्रमांक/स्था./बी-1/25-2/पार्ट-2/पथरिया/1903-04 दिनांक 29/04/25 से श्री सुरेश सिंह राजपूत स.उ.नि. कृषि उपज मंडी समिति पथरिया जिला दमोह का अभ्यावेदन दिनांक 03/12/2024 को अमान्य किया गया है।

प्रकरण प्रबंध संचालक महोदय की समय-सीमा सूची में अंकित है।

अतः प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 की ओर से पक्ष समर्थन करने हेतु आपको संपर्क/नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुये प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम विलोपित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत करते हुये प्रकरण में Compliance Report दायर किये जाने हेतु जवाबदावा/Compliance Report की प्रति प्रबंध संचालक महोदय के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(रितु चौहान)
संयुक्त संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बोर्ड/विधि/एफ-247/सा./CONC-1462/2025/404 भोपाल, दिनांक 01/05/25

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....**(समस्त)** को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 153/मुस/2016 दिनांक 12/05/2016 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में अवमानना/न्यायालयीन प्रकरणों का परिक्षण कर प्रतिवादी के रूप में माननीय मुख्य सचिव महोदय का नाम दर्ज होने पर तत्काल उक्त के विलोपन संबंधी कार्यवाही कराई जाये।
2. **उपसंचालक (स्थापना) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
3. **सचिव, कृषि उपज मंडी समिति पथरिया जिला दमोह की ओर** मंडी समिति की ओर से पत्र में उल्लेखित जानकारी से माननीय न्यायालय को अधिवक्ता के माध्यम से तत्काल अवगत कराया जाकर प्रतिरक्षण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सयुक्त संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/विधि/विविध/8/जन./डब्ल्यू.पी./2024/24114 भोपाल, दिनांक 16/8/24

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय- .....(समस्त)।

विषयः- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का नाम विलोपित कराने के संबंध में।

सन्दर्भः- 1. मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक 153/मुस/2016 दिनांक 12/05/2016।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1212/1577/2012/14-1 दिनांक 15/06/2016।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। लेख है कि शासन स्तर से "माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में मुख्य सचिव महोदय को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने की स्थिति में अविलम्ब मुख्य सचिव महोदय का नाम विलोपन संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु" निर्देश दिए गए हैं, किन्तु कतिपय रूप से देखने में आया है कि प्रभारी अधिकारी के स्तर से उक्त निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अंचल के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करें तथा यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय, म0प्र0 शासन को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया गया है तो तत्काल अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन का नाम विलोपित कराने की कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

16/08/24
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./बोर्ड/विधि/विविध/8/जन./डब्ल्यू.पी./2024/ 8415 भोपाल, दिनांक 16/8/24

प्रतिलिपिः-

सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1212/1577 / ~~2095~~ / 2012 / 14–1 भोपाल, दिनांक 15 / 06 / 16

प्रति,

1–संचालक
किसान कल्याण / तथा कृषि अभियांत्रिकी
कृषि प्रशिक्षण संस्थान
म0प्र0 भोपाल।

2–प्रबंध संचालक,
कृषि विपणन बोर्ड / बीज एवं फार्म वि0नि0
बीज प्रमाणीकरण संस्थान / राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान।

3– कृषि विश्व विद्यालय
जवाहर लाल नेहरू कृ0वि0 जबलपुर
राजमाता सिंधिया कृ0वि0 ग्वालियर।
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने के संबंध में।

——0——

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 153 / मुस / 2016 दिनांक 12.5.2016 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए निर्देशांनुसार कार्यवाही / पालन करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

म.प्र.रा.कृ. कृषि विपणन बोर्ड
क्र 4g-1/1160 दि 15/6/16
शाखा JD (Legal)
प्रबंध संचालक

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(1)

मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग (शाखा-1)
पंजी क्र. 1577
दिनांक 26-05-16

क्रमांक 153/मु.स./2016,

भोपाल, दिनांक 12 /5/20

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
.... विभाग.

विषय :- न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने संबंध में।

--000--

1. विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में याचिकाकर्ता/वादी द्वारा मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम (Rules of Business of the executive Government of Madhya Pradesh) में निम्नानुसार सुस्पष्ट प्रावधान है कि - मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम, भाग पांच - "कार्य नियम के नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश" के खण्ड-2(क) के अनुसार विभागीय सचिव द्वारा किया गया निपटारा शासन द्वारा किया गया निपटारा समझा जायेगा। कार्य नियम भाग-1 के नियम-12 के अन्तर्गत संबंधित विभाग का सचिव प्रत्येक मामले में नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

2. प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 86, 191/21-मत/2015, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा उपर्युक्त विषयान्तर्गत महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्यप्रदेश को विस्तृत मार्गदर्शन प्रेषित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ तथा उपयोग हेतु परिशिष्ट-1 पर छायाप्रति संलग्न है।

निरन्तर........

3. अवमानना मामलें में राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव को मामलों में पक्षकार बनाए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के स अवमानना प्रकरण क्रमांक 649/2015 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिन 08.09.2015 को प्रकरण क्रमांक आर.पी.49/2016 में माननीय उच्च न्या ल की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 (परिशिष्ट-2) द्वारा वाप लिया गया है साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि-

"That the contempt case shall be filed and proceed in accordance with the requirement of High Court of Madhya Pradesh Rules 2008 or the statutory requirement of the Contempt of Court Act and the rules framed therein."

4. उक्त विधिक स्थिति के अनुसार प्रस्तुत वाद/रिट याचिकाओं तथा अवमानना याचिकाओं में मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही की जावे।

5/ प्रकरण में मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए प्रस्तुत आवेदन-पत्रों से प्राप्त नोटिस में प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही अविलम्ब की जावे :-

(i) प्रकरण में तत्काल ही प्रभारी अधिकारी/सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावे।

(ii) मुख्य सचिव की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वकालतनामा आदि पर हस्ताक्षर करवाने संबंधी कार्यवाही की जावे।

(iii) मुख्य सचिव का नाम विलोपन संबंधी कार्यवाही की जावे।

(iv) प्रकरण में जवाबदावा दाखिल करने की कार्यवाही की जावे।

(v) प्रकरण में कृत कार्यवाही की तथ्यात्मक स्थिति एक सप्ताह के भीतर अवलोकन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत होने की अचूक व्यवस्था तथा इसकी सतत् समीक्षा भारसाधक सचिव द्वारा की जावे।

(ऑन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव